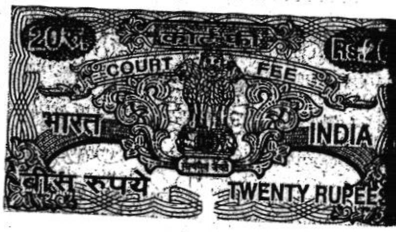

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–शाजापुर
PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2018/1326

1– हरिनारायण पुत्र श्री सिद्धनाथ कुलमी

2– श्रवण कुमार पुत्र श्री किशोर सिंह तेली

3– श्यामलाल पुत्र श्री किशोर सिंह तेली

निवासीगण– ग्राम दुपाडा, तहसील मोहन बडोदिया जिला – शाजापुर (म.प्र.)

...........आवेदकगण

विरूद्ध

लीलाधर पुत्र श्री बालमुकुन्द लाहौर

निवासी– ग्राम दुपाडा, तहसील मोहन बडोदिया जिला – शाजापुर (म.प्र.)

.... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तराना जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 04.10.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 89, 109, 110 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया। कि ग्राम कतवरिया तहसील तराना में स्थित भूमि आवेदक के पिता सिद्धनाथ जी के नाम से गत बंदौबस्त के पूर्व रहीं है जिसका नवीन सर्वे नं. 42 पुराना सर्वे नं. 21/1 वर्तमान रकवा 0.94 पुराना रकवा 1.52 सर्वे नं. नवीन 48 जिसके बंदौबस्त के पुराने सर्वे नं. 16/1 व 18 जिसका वर्तमान रकवा 3.37 व बंदौबस्त के पूर्व का रकवा 3.379 रहा है।

2– यहकि, ग्राम कतवरिया तहसील तराना गत बंदौबस्त के समय अनावेदक के भाई बाबूलाल पुत्र बालमुकन्द के नाम से सर्वे नं. 43 पुराना सर्वे नं. 21/2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2018/1326

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20-12-18 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। दिनांक **प्रशासकीय सदस्य**	